भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की **393**वीं बैठक का कार्यवृत्त
स्थान - राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण का सम्मेलन कक्ष
तिथि व समय- 02 जून 2023 पूर्वाह्न 10:30 बजे

******

बैठक में निम्नलिखित ने भाग लिया;

1. प्रो. किशोर के. बासा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
2. श्री टी.एन. तिवारी, पूर्णकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
3. श्री हेमराज आर. कामदार, अंशकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
4. प्रो. एम. कैलाश राव, अंशकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
5. श्री भास्कर वर्मा, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

कार्यसूची संख्या 01

392वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्यसूची संख्या 02

एनओसी आवेदनों पर विचार

नए ऑनलाइन मामले;

मामला संख्या 01

(श्रीमती फ्लोरा ज़ेवियर प्लॉट नं: 3ए, कुमारन कॉलोनी 3रा क्रॉस\स्ट्रीट, ज़मीन पल्लवरम, चेन्नई - 600117)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में संख्या: 3ए, क्र.सं. 75/3बी 3ए 1ए 1बीपीटी, ज़मीन पल्लवरम चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 12.50 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक इत्यादि सहित) के साथ जीएफ (मौजूदा) + हेडरूम और ओवरहेड टैंक के साथ 2 मंजिलों के साथ प्रस्तावित **एफएसआई क्षेत्र** के तलक्षेत्र के साथ: जीएफ (मौजूदा) = एफएफ = एसएफ = 54.57 वर्गमीटर, **गैर एफएसआई क्षेत्र** प्रस्तावित हेडरूम क्षेत्र = 9.72 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 02</u>

(श्री के बलरामन नं. 13, अन्नाई अंजुगम स्ट्रीट, सुभा मंगला नगर, पुराना पल्लवरम, चेन्नई-600117)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट संख्या 13, क्रमांक 21/13सी ज़मीन, पल्लवरम, चेंगलपट्टू में 11.05 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ ओवरहेड टैंक के साथ जीएफ + 2 मंजिलों के साथ प्रस्तावित भूतल क्षेत्र = 111.48 वर्गमीटर, प्रस्तावित प्रथम तल क्षेत्र = 156.07 वर्गमीटर, प्रस्तावित दूसरी मंजिल क्षेत्र = 46.72 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 03</u>

(श्री सलेहरी पी. शिव कुमार, पुत्र पलानीसामी, 24, पोन्नियाम्मन कोविल स्ट्रीट, ओल्ड पल्लावरम, चेन्नई-600043)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट संख्या 163, 164, TS No. 47, जमीन पल्लवरम, चेंगलपट्टू में 10.59 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल-भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ हेडरूम और ओवरहेड टैंक के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ प्रस्तावित जीएफ = एफएफ = 57.46 वर्गमीटर, हेडरूम क्षेत्र = 7.88 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 04

(श्री के. लक्ष्मणन, प्लॉट नं. 77, सुभम नगर पार्ट 1, ज़मीन पल्लवरम गांव, चेन्नई- 600017)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट संख्या 77, सर्वे संख्या 8, पल्लवरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 9.47 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल-भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ हेडरूम के साथ प्रस्तावित जीएफ (मौजूदा) = एफएफ = 38.46 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 05

(श्री एन. विश्वनाथन, श्रीमती वेदवल्ली, पुराना संख्या 11 बी, नया संख्या 29/2, थंगावेल गार्डन, तीसरी स्ट्रीट, कोरुक्कुपेट, वाशरमेनपेट, चेन्नई-600021)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में S. No. 75/7A1PT, T.S. No. 43/3 जमीन पल्लवरम में 14.94 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल-भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ स्टिल्ट और जीएफ + 2 मंजिलों के साथ हेड रूम, लिफ्ट मशीन रूम और ओवरहेड टैंक के साथ **एफएसआई क्षेत्र** प्रस्तावित भूतल क्षेत्र = 60.17 वर्गमीटर, प्रस्तावित एफएफ = एसएफ = 108.54 वर्गमीटर, **गैर एफएसआई** प्रस्तावित स्टिल्ट तलक्षेत्र = 48.37 वर्गमीटर, हेडरूम क्षेत्र और लिफ्ट मशीन रूम = 16.82 वर्गमीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने

का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 06</u>

(श्री आर. कोथंडम, संख्या 7, कलाइवानी स्ट्रीट, कीलकट्टलाई, चेन्नई-600117)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में डोर संख्या 30, संख्या 280/7, 7ए कीलकट्टलाई, पल्लवरम चेंगलपट्टू पर 16.88 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल-भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ स्टिल्ट और जीएफ + 3 मंजिलों के साथ हेड रूम, लिफ्ट मशीन रूम और ओवरहेड टैंक के साथ प्रस्तावित स्टिल्ट = FF = SF = TF = 1146.34 वर्गमीटर, हेडरूम क्षेत्र और लिफ्ट मशीन रूम = 15.87 वर्गमीटर , चारदीवारी = 1.52 मीटर तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 07</u>

(श्री बसवन्नेप्पा यल्लप्पा पडिगेरी, # 3355, सिद्धेश्वर नगर, उंकल क्रॉस, हुबली -580031)

आवेदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को अधिकतम ऊंचाई 7.50 मीटर (कुल मिलाकर) तक सीमित करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेज दिया जाए।

<u>मामला संख्या 08</u>

(श्री नीलेश रजनीकांत शाह और श्रीमती रेशमा नीलेशभाई शाह, हाउस संख्या एल-330, सीएस संख्या 2585/139, वार्ड संख्या 5/2, बी/एच उमेद भुवन , पुराना उम्मेद नगर, भुज -कच्छ)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में हाउस संख्या एल-330, सी.एस. संख्या 2585/139, वार्ड संख्या 5/2, भुज, कच्छ, गुजरात में 09.40 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल-भंडारण, टैंक इत्यादि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 62.44 वर्गमीटर, एफएफ=60.86 वर्गमीटर, एससी=11.59 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित

नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 09</u>

(श्री मुकेशभाई रमणिकलाल उपाध्याय , सरस्वती स्ट्रीट, द्वारका-361335)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में C.S. No. 375, शीट No.30, द्वारका , देवभूमि, द्वारका , गुजरात में 09.00 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल-भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = 81.48 वर्गमीटर और टैरेस फ्लोर (एससी) = 10.82 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 10</u>

(श्री चेतन सिंह हरिश्चंद्र सिंह ज़ाला, गायत्री सोसाइटी, दाल मिल रोड, एनडीआर स्कूल के पास, सुरेंद्रनगर -गुजरात

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में C.S.No. 2444/15, वार्ड संख्या 5/2, पुरानी रावलवाड़ी, पानी की टंकी के पास, भुज, कच्छ, गुजरात में कुल 04.75 मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल-भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ सहित GF = 10.30 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 11</u>

(श्रीमती कर्णिकाबेन अभयभाई वायदा, संध्याबेन दिव्यांग भाई वायदा और श्री दिव्यांग भाई हरीशभाई वायदा , तीन बाटी चौक, गायत्री ज़ेरॉक्स, द्वारका-361335)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में C.S. No.2424/3/1, शीट No.42, द्वारका, देवभूमि द्वारका, अहमदाबाद, गुजरात में कुल ऊंचाई 14.05 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल-भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 3 मंजिलों + टैरेस फ्लोर (एससी) के साथ GF=FF=SF=TF=170.52 वर्गमीटर और टेरेस फ्लोर (SC) = 21.78 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 12

(श्रीमती राज रानी पत्नी श्री सुरिंदर कुमार, एमसी संख्या 5005, एमसीबी-जेड-1/06481, अफीम वाली गली, बठिंडा)

आवेदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को अधिकतम ऊंचाई 7.50 मीटर (कुल मिलाकर) तक रखने के लिए कहते हुए मामला **वापस** भेज दिया जाए।

मामला संख्या 13

(श्री पवन कुमार पुत्र सुरिंदर पाल, एमसीबी-जेड-1-09838, सदर बाजार, बठिंडा)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में एमसीबी जेड-1-09838, सदर बाजार, बठिंडा, पंजाब में 7.32 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ प्रस्तावित जीएफ = 72.76 वर्गमीटर, एफएफ = 36.33 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, पंजाब की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 14

(श्रीमती मधु रानी पत्नी श्री पवन कुमार, एमसीबी-जेड-1-09838-000, सदर बाजार, बठिंडा)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में एमसीबी जेड-1-09838-000-002, सदर बाजार, बठिंडा, पंजाब में 7.32 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ प्रस्तावित जीएफ = 72.76 वर्गमीटर, एफएफ = 36.33 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, पंजाब की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 15

(सुश्री मधु खोसला, एमसी संख्या 3962, एमसीबी-जेड-1-09062, स्ट्रीट संख्या 2, स्ट्रीट महासियान वाली (नीता स्ट्रीट), बठिंडा)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में MCB-Z-1-09062, MC संख्या 396, गली संख्या 2, गली महासियान वाली, नीता स्ट्रीट बठिंडा, पंजाब में 8.23 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल + ममटी के साथ प्रस्तावित जीएफ = एफएफ = 55.31 वर्गमीटर, ममटी = 9.56 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, पंजाब की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 16

(श्री विनय कुमार पुत्र स्वर्गीय मोहिंदर कुमार एमसी संख्या 4977, एमसीबीजेड-1-10281, अफीम वाली गली, बठिंडा)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में पुराने #4977, जेड-1-10281, अफीम, बठिंडा, पंजाब में 7.46 मीटर की कुल ऊंचाई के साथ (ममटी, पैरापेट, जल-भंडारण टैंक आदि सहित) जीएफ + 1 मंजिल के साथ प्रस्तावित जीएफ = 67.63 वर्गमीटर, एफएफ = 58.06 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, पंजाब की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए

मामला संख्या 17

(आयुक्त, नगर निगम, रोहतक, नगर निगम, रोहतक)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में यह निर्णय लिया गया कि एएसआई सर्किल की टिप्पणी मांगने के लिए मामले को **वापस** भेज दिया जाए क्योंकि प्रस्तावित निर्माण एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल के काफी समीप है। आवेदक एक संशोधित स्थल योजना प्रस्तुत करे जिसमें पाइपलाइनों और सिविल इंजीनियरिंग सहित पूरी संरचना प्रतिषिद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित हो।

मामला संख्या 18

(श्रीमती रीना शर्मा, सी-33, ग्रीन पार्क मेन, नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में C-33, ग्रीन पार्क मेन, नई दिल्ली में **17.99** मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल-भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ बेसमेंट = स्टिल्ट = जीएफ = 199.41 वर्गमीटर, FF = SF = TF = 184.35 वर्गमीटर, गहराई = 4.80 मीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

नए ऑफ़लाइन मामले

मामला संख्या 1

(मैसर्स अवंत हेरिटेज III रियलिटी एलएलपी और अवंत हेरिटेज IV रियलिटी एलएलपी, 522, द समिट बिजनेस बे, 5वी मंजिल, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई-400069)

सुश्री राधिका धूमल, वास्तुकार जिन्होंने उक्त परियोजना के लिए हेरिटेज इंपैक्ट असेसमेंट (HIA) रिपोर्ट तैयार की थी, द्वारा एक प्रस्तुति दी गई। मामले पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने पाया कि एचआईए रिपोर्ट एक अधिसूचित विशेषज्ञ विरासत निकाय द्वारा तैयार नहीं की गई है। आवेदक को आवश्यक दस्तावेजों जो आवेदन में नहीं हैं, के साथ मामला फिर से प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया गया, जिसमें स्पष्ट मंजिल सारांश और ऊंचाई योजना के

साथ-साथ स्व-घोषणा/कानूनी शपथ-पत्र के साथ पूरी स्थल योजना शामिल हो। HIA रिपोर्ट जो एक अधिसूचित विशेषज्ञ विरासत निकाय द्वारा की गई हो, प्रस्तुत की जाए।

मामला संख्या 2

(श्रीमती आदर्श बाली, एच-1/2, हौज खास, नई दिल्ली-110016)

आवेदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को प्रतिषिद्ध क्षेत्र से न्यूनतम 4.5 मीटर की खाली जगह छोडते हुए अथवा केंद्रीय संरक्षित स्मारक की संरक्षित चारदीवारी से 100.5 मीटर की दूरी छोड़कर निर्माण करने के लिए एक संशोधित योजना प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेज दिया जाए।

मामला संख्या 3

(श्रीमती अंशुल अरोड़ा, डी-165, साकेत, नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में डी-165, साकेत, नई दिल्ली में **17.99** मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल-भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ बेसमेंट = स्टिल्ट = जीएफ = एफएफ = एसएफ = टीएफ = 156.76 वर्गमीटर, गहराई = 3.66 मीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 04

(मैसर्स रीगल थिएटर प्रोपराइटर श्री विशाल चौधरी के माध्यम से रीगल थिएटर, रीगल बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली)

परियोजना के वास्तुविद द्वारा एक प्रस्तुति दी गई थी और आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले को **अस्वीकार** करने का निर्णय लिया गया क्योंकि आवेदक द्वारा प्रस्तुत फॉर्म I और स्थल योजना में विसंगतियां पाई गई हैं।

मामला संख्या 05

(कार्यपालक अभियंता, जल निगम परिसर, दसावतार मंदिर के पास, देवगढ़, दोधा घाट, ललितपुर)
आवेदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को प्रतिषिद्ध क्षेत्र के बाहर वैकल्पिक संरेखण का पता लगाने के लिए कहते हुए मामला **वापस** भेज दिया जाए। मामले को पुनः प्रस्तुत करते समय उपयोग किए जा रहे पाइप के प्रकार और व्यास का उल्लेख किया जाना चाहिए।

अनुपालन ऑनलाइन मामले:

मामला संख्या 01

(श्री ई. सिद्धार्द संख्या 1, गोकुलम नगर, मूवरसमपट्टू, चेन्नई-91)
आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 21, मूवरसम्पेट, पल्लावरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में **16.57 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ स्टिल्ट + 3 मंजिलों के साथ हेड रूम, लिफ्ट मशीन रूम और पानी की टंकी सहित **एफएसआई क्षेत्र** एफएफ = एसएफ = टीएफ = 153.62 वर्गमीटर, **गैर एफएसआई क्षेत्र** स्टिल्ट तलक्षेत्र = 153.62 वर्गमीटर, हेड रूम क्षेत्र = 19.98 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 02

(श्री ई. सिद्धार्द संख्या 1, गोकुलम नगर, मूवरसमपट्टू, चेन्नई-91)
आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 24, मूवरसम्पेट, पल्लावरम, चेंगलापट्टू, तमिलनाडु में **16.57 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक सहित) के साथ स्टिल्ट + 3 मंजिलों के साथ हेड रूम, लिफ्ट मशीन रूम और पानी की टंकी सहित **एफएसआई क्षेत्र** एफएफ = एसएफ = टीएफ = 179.64 वर्गमीटर, **गैर एफएसआई क्षेत्र** स्टिल्ट तलक्षेत्र = 179.64 वर्गमीटर, हेड रूम क्षेत्र = 19.98 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने

की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 03

(श्री ई. सिद्धार्द संख्या 1, गोकुलम नगर, मूवरसमपट्टू, चेन्नई-91)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 23, मूवरसम्पेट, पल्लवरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में **16.57 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ स्टिल्ट + 3 मंजिलों के साथ हेड रूम, लिफ्ट मशीन रूम और पानी की टंकी सहित **एफएसआई क्षेत्र** एफएफ = एसएफ = टीएफ = 199.88 वर्गमीटर, **गैर एफएसआई क्षेत्र** स्टिल्ट तलक्षेत्र = 198.88 वर्गमीटर, हेड रूम क्षेत्र = 19.98 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 04

(श्री ई. सिद्धार्द संख्या 1, गोकुलम नगर, मूवरसमपट्टू, चेन्नई-91)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 22, मूवरसम्पेट, पल्लवरम, चेंगलापट्टू, तमिलनाडु, में 16.57 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ स्टिल्ट + 3 मंजिलों के साथ हेड रूम, लिफ्ट मशीन रूम और पानी की टंकी सहित **एफएसआई क्षेत्र** एफएफ = एसएफ = टीएफ = 197.76 वर्गमीटर, **गैर एफएसआई क्षेत्र** स्टिल्ट तलक्षेत्र = 197.76 वर्गमीटर, हेड रूम क्षेत्र = 19.98 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 05

(श्री ई. सिद्धार्द संख्या 1, गोकुलम नगर, मूवरसमपट्टू, चेन्नई)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 20, मूवरसम्पेट, पल्लवरम, चेंगलापट्टू, तमिलनाडु में 16.57 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ स्टिल्ट + 3

मंजिलों के साथ हेड रूम, लिफ्ट मशीन रूम और पानी की टंकी सहित **एफएसआई क्षेत्र** एफएफ = एसएफ = टीएफ = 159.10 वर्गमीटर, **गैर एफएसआई क्षेत्र** स्टिल्ट तलक्षेत्र = 159.10 वर्गमीटर, हेड रूम क्षेत्र = 19.98 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 06</u>

(श्री सी एसैमनी, प्लॉट नं. 22, श्री शक्ति नगर, ज़मीन पल्लवरम गांव, चेन्नई-44)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में प्लॉट संख्या 22/सर्वे संख्या 75/4, पल्लवरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु, में 11.16 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ स्टिल्ट + 2 मंजिलों वाले हैड रूम के साथ स्टिल्ट पार्क क्षेत्र = 45.52 वर्गमीटर, जीएफ = 61.08 वर्गमीटर, एफएफ = एसएफ = 106.60 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 07</u>

(श्री एस पेचिमुथु, नंबर: 2/772 ए, शिवशक्ति नगर, दूसरी स्ट्रीट, थिरुसुलम, चेन्नई -600043)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में प्लॉट नंबर: 7, क्रमांक: 18/1, ज़मीन पल्लवरम, पल्लवरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 14.44 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ स्टिल्ट + 3 मंजिलों के साथ हेड रूम और ओवरहेड टैंक के साथ स्टिल्ट = एफएफ = एसएफ = टीएफ = 42.40 वर्गमीटर, हेड रूम एरिया = 8.68 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 08

(श्री. एस. पलानी नंबर: 3/16, नीलकारा स्ट्रीट, वन्नियानल्लूर, कांचीपुरम, तमिलनाडु-603401)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में 8, ईस्टर्न पोर्शन वन पॉइंट , ज़मीन पल्लवरम, पल्लवरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 14.44 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ स्टिल्ट + 3 मंजिलों के साथ हेड रूम और ओवरहेड टैंक के साथ स्टिल्ट = एफएफ = एसएफ = टीएफ = 40.87 वर्गमीटर, हेडरूम क्षेत्र = 7.94 वर्गमीटर, परिसर की दीवार = 1.52 मीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया)। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफ़ारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 09

(श्री. एस. शंकरपांडियन प्लॉट नंबर: 14, 15वीं स्ट्रीट, साई इल्लम पनयूर अक्करई, 5 स्टार सुपर मार्केट रोड के सामने, शोलिंगनल्लुर, चेन्नई - 600119)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामलें में पुराने एस.एन.: सं. 140/2, न्यू एस.सं. : संबक्कम, तंबरम चेनगलपट्टू, तमिलनाडु में 11.63 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ स्टिल्ट + 2 मंजिलों के साथ हेडरूम और पानी की टंकी के साथ स्टिल्ट = एफएफ = एसएफ = 162.71 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ, हेडरूम क्षेत्र = 10.03 वर्गमीटर, चार दीवारी = 1.52 मीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 10

(श्रीमती ई. हेमामालिनी नंबर: 51/15, माधा कोविल स्ट्रीट, गांधी नगर, मदुरंतकम, कांचीपुरम, तमिलनाडु -603306)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में प्लॉट नंबर: 7 और 8 (दक्षिण भाग), ज़मीन पल्लवरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 14.44 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ स्टिल्ट + 3 मंजिलों के साथ हेड रूम और ओवरहेड टैंक के साथ स्टिल्ट =

जीएफ = एफएफ = टीएफ = 53.36 वर्गमीटर, हेड रूम एरिया = 8.55 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 11</u>

(श्रीमती राजी के. प्लॉट नंबर: 245, दरवाजा नंबर: 4/260, पावलमल्ली स्ट्रीट, पूंगा नगर, तिरुवल्लुर, तमिलनाडु -602001)।

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में क्र.सं.: 75/2ए1 भाग, ज़मीन पल्लवरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 11.88 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ पानी की टंकी के साथ स्टिल्ट + 2 मंजिलों के साथ प्रस्तावित **एफएसआई क्षेत्र के तल क्षेत्र के साथ** एफएफ = एसएफ = 73.08 वर्गमीटर, **गैर एफएसआई** ओपन सीढ़ी क्षेत्र = 7.73 वर्गमीटर, स्टिल्ट तल का पीठिका क्षेत्र = 73.08 वर्गमीटर परिसर की दीवार = 1.52 मीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>अनुपालन ऑफ़लाइन मामले:</u>

<u>मामला संख्या 01</u>

(श्रीमती एचएम गीता, बलेनहल्ली, चिलकुर पोस्ट, बेलूर तालुक, हासन जिला-573216)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में खाता संख्या 77, पीआर आईडी: 151600403000600086, हलेबीदु ग्राम, पंचायत, बेलूर में 4.46 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ के साथ जीएफ =93.89 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश करने का निर्णय लिया गया।** एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 02

(श्रीमती आशा. एसके पुथेनविला विदु, वावरम्बलम, पोथेनकोड पीओ तिरुवनंतपुरम- 695584)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में एसवाई नंबर 224/13, वार्ड नं. 65, ग्राम तिरुवल्लम, तालुक जिला-तिरुवनंतपुरम में 7.25 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल-भंडारण, टैंक आदि सहित) के जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ (वाणिज्यिक) = 15.28 वर्गमीटर, जीएफ (आवासीय) = 69.62 वर्गमीटर, एफएफ (आवासीय) = 84.90 वर्गमीटर, तलघर = 0.8 मीटर (आवासीय) के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

विशेष दिल्ली मामला

मामला संख्या 1

(श्री पदमजीत सिंह अहलूवालिया, ए-39 (पार्ट-1), निजामुद्दीन ईस्ट, दिल्ली)

माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 25/04/2023 के आदेश द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसरण में, इस मामले में एएमएसएआर नियम 2011 के नियम 15 के तहत ए-39 (भाग-1), निजामुद्दीन पूर्व, दिल्ली में 14.6304 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ+3 मंजिलों के साथ जीएफ=129.182, एफएफ=एसएफ=104.067 वर्गमीटर, टीएफ=78.505 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ मौजूदा भवन की मरम्मत/नवीकरण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश की गई है।** एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफ़ारिश की जाती है। आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

विशेष एजेंडा:

(श्री परवेज अहमद, अलीमजान हाउस, शास्तांग, योरटिंग, लेह)

एनएमए में 14.03.2023 को आयोजित 383वीं एनओसी बैठक में मूल रूप से इस मामले पर विचार किया गया था और ऊंचाई 08.50 मीटर तक सीमित रखने और संशोधित कार्यस्थल योजना के लिए कानूनी शपथ पत्र/स्व-घोषणा प्रदान करने के लिए इस मामले को वापस भेज दिया गया था। इस कार्यालय को कानूनी हलफनामा प्राप्त हुआ है, हालांकि, आवेदक ने 353वीं एनओसी बैठक में

अनुशंसित पिछले ऐसे ही एक मामले का हवाला देते हुए ऊंचाई की सीमा लगाए जाने के विरूद्ध प्रतिनिधित्व किया।

इस प्रकार मामले पर पुनर्विचार किया गया और प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि ऊंचाई प्रतिबंध का पालन किया जाना है। यह क्षेत्र जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से गुजरा है और साथ ही लेह में जनसंख्या और आगंतुकों में वृद्धि होती आ रही है, जिससे निर्माण गतिविधियों में वृद्धि हुई है और संदर्भित सीपीएम के संरक्षण, सुरक्षा, दृश्यता और सुसाध्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके प्रकाश में, प्राधिकरण ने मामले में ऊंचाई को 08.50 मीटर (सब मिलाकर) तक सीमित करने का निर्णय लिया है।

अतिरिक्त एजेंडा:

स्थल दौरे के मामले

मामला संख्या : 1

(श्रीमती अंशुमला जैन (पार्टनर) 5ए, चौरंगी लेन, कोलकाता - 700016)

प्राधिकरण द्वारा किए गए आवेदन पर विचार करने और प्राधिकरण द्वारा बाद में कार्य-स्थल के दौरे के बाद, यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को प्रस्तावित कार्य के विस्तार और साथ ही मौजूदा भवन और साथ लगते ढांचों की सरंचनात्मक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुतीकरण करने के लिए कहते हुए मामले को वापिस भेज दिया जाये।

मामला संख्या : 2

(श्री प्रशांत बी काले, एसई (डब्ल्यू/एस), तीसरी मंजिल, सिडको भवन, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-400614)

आवेदन पर विचार करने और बाद में प्राधिकरण द्वारा कार्य-स्थल का दौरा करने के बाद, इस मामले में कोंढाने गांव, ताल-कर्जत, जिला-रायगढ़, महाराष्ट्र में पेयजल परियोजना (सार्वजनिक) के निर्माण के लिए 76.29 मीटर की ऊंचाई के साथ कंक्रीट फेस रॉक से भरे बांध के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश करने का निर्णय लिया गया।** इसमे **औसत समुद्र तल से प्रस्तावित बांध का शीर्ष आरएल 146.0 मीटर ऊपर है,** प्रस्तावित **बांध का पानी का शीर्ष औसत समुद्र तल से आरएल 140.0 मीटर ऊपर है जबकि लंबाई लगभग 1170 मीटर है।** एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। आवेदक को निर्माण करते समय प्रासंगिक स्थानीय उपनियमों का पालन करना चाहिए। इसके अलावा, केंद्रीय रूप

से संरक्षित स्मारक तक बेहतर सुसाध्यता के लिए एसआईडीसीओ(SIDCO) वहाँ तक जाने वाली एक सड़क के निर्माण पर विचार कर सकता है।

<u>मामला संख्या: 3</u>

(श्री रुतुराज धैरशील इंगले, वार्ड नंबर - 5 डाकघर पन्हाला, ताल पन्हाला, जिला - कोल्हापुर - 416201)

आवेदन पर विचार करने और बाद में प्राधिकरण के कार्य-स्थल के दौरे के बाद, यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को सेटबेक छोडने और प्रतिषिद्ध क्षेत्र से परे निर्माण करने की व्यहार्यता के प्रस्ताव की जांच करने के संबंध में प्रस्तुतीकरण करने के लिए कहते हुए मामले को वापिस भेज दिया जाये।

<u>मामला संख्या : 4</u>

(श्री प्रकाश बाबूराव रावत, सीएस नंबर 162ई (आंशिक रूप से) / सीएस नंबर 164, मधलीगल्ली, पन्हाला, ताल-पन्हाला-कोल्हापुर-416201)

आवेदन पर विचार करने और प्राधिकरण द्वारा बाद में कार्य-स्थल के दौरे के बाद, इस मामले में सीएस नंबर 162ई (आंशिक रूप से) / सीएस नंबर 164, मधलीगली, पन्हाला, ताल-पन्हाला-कोल्हापुर - 416201 में **7.50 मीटर** की ऊंचाई(पैरापेट, ममी और पानी भंडारण टैंक, लिफ्ट रूम, आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 के साथ स्टिल्ट फ्लोर=33.56 वर्गमीटर, एफएफ=33.56 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश करने का निर्णय लिया गया।** एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 05</u>

(श्रीमती सुसामा जेना, श्रीराम नगर, लेन-1, बाली घाट, पुरी, ओडिशा)

आवेदन पर विचार करने और बाद में प्राधिकरण की ओर से निदेशक, एनएमए द्वारा किए गए कार्य-स्थल के दौरे के बाद, इस मामले में प्लॉट नंबर 103/1365, खाता नंबर 390/436 मौजा-बसुघई, भुवनेश्वर, जिला-खोरधा, राज्य-ओडिशा में 9.30 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिलों के साथ जीएफ=एफएफ=160.69 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया । एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, ओडिशा की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की

अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 06</u>

(सुश्री सस्मिता बेहरा, प्लॉट नंबर 803/3577, मंगला मंदिर बेहरा साही के पास, नयापाली, भुवनेश्वर-751023)

आवेदन पर विचार करने और बाद में प्राधिकरण की ओर से निदेशक, एनएमए द्वारा किए गए कार्य-स्थल के दौरे के बाद, इस मामले में प्लॉट नंबर 3257, खाता नंबर 1331/1632 मौजा-गौतम नगर, यूनिट-28 भुवनेश्वर, जिला-खुर्दा राज्य-ओडिशा में **11.88 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममती, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि के साथ)के साथ जीएफ + 2 मंजिलों के साथ जीएफ = एफएफ = एसएफ = 145.36 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, ओडिशा की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 07</u>

(श्री जग्गू राम सुपुत्र श्री डोम्बा राम, वीपीओ उदयपुर, तहसील उदयपुर जिला लाहौल-स्पीति, हिमाचल प्रदेश-175142)

आवेदन पर विचार करने और बाद में प्राधिकरण के कार्य-स्थल के दौरे के बाद, इस मामले में खसरा नंबर 63, मोहल उदयपुर, वीपीओ उदयपुर, तहसील उदयपुर, जिला लाहुल-स्पीति, हिमाचल प्रदेश में **06.65** मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिलों के साथ जीएफ = एफएफ = 50.25 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, हिमाचल प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 08</u>

(श्रीमती ममता डोगरा पत्नी राजेश कुमार, वार्ड नंबर 2, सुजानपुर टिहरा, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश- 176110)

आवेदन पर विचार करने और बाद में प्राधिकरण के कार्य-स्थल के दौरे के बाद, इस मामले में खसरा नंबर 3377/2299, 2302/721 मौजा भालेथ, पीओ और तेह सुजानपुर, जिला, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में **06.15** मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिलों के

साथ जीएफ=एफएफ = 58.032 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, हिमाचल प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 09</u>

(श्रीमती ममता डोगरा पत्नी राजेश कुमार, वार्ड नंबर 2, सुजानपुर टिहरा, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश- 176110)

आवेदन पर विचार करने और बाद में प्राधिकरण के कार्य-स्थल के दौरे के बाद, इस मामले में खसरा संख्या 3377/2299, 2302/721 मौजा भालेथ, पीओ और तेह सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में 09.70 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिलों के साथ जीएफ = 163.03 = एफएफ = 153.38 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, हिमाचल प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 10</u>

(श्री प्रेम लाल, ठाकुर सदन, टॉप फ्लोर, अंधेरी, लोअर, समर हिल, शिमला-5 हिमाचल प्रदेश)

आवेदन पर विचार करने और बाद में प्राधिकरण द्वारा किए गए कार्य-स्थल दौरे के बाद, इस मामले में खसरा संख्या 1466/93, 1467/93 मौजा बजोगी/धुंगरी, तह. मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में **14.795** मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण सहित) के साथ पार्किंग + 3 मंजिलों के साथ जीएफ = 120.31 वर्गमीटर एफएफ = एसएफ = टीएफ = 125.06 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, हिमाचल प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 11

(श्री मान दास, पुत्र श्री डोलू राम, कुणाल लॉज और कुटीर लॉग-हट एरिया मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश)

आवेदन पर विचार करने और और बाद में प्राधिकरण के कार्य-स्थल के दौरे के बाद, इस मामले में खसरा संख्या 750, 755, 756, 757, 759, 760, 771, 772, 773, 774, मोहल ढुंगरी प्रधाम, तेह, मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में **ब्लॉक -** की ऊंचाई = **12.10 मीटर**, **ब्लॉक-द्वितीय = 3.60,ब्लॉक-III = 12.15 मीटर की कुल ऊंचाई** (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण सहित) के साथ ब्लॉक I = 3 मंजिला, ब्लॉक II = एक मंजिला, ब्लॉक III = 3 मंजिला के साथ ब्लॉक I: जीजी = एफएफ = अटारी तल = 173.52 (प्रत्येक) = 520.53 वर्गमीटर। **ब्लॉक II** : भूतल = 133.05 वर्गमीटर। **ब्लॉक III** : जीएफ = 107.47, एफएफ = एसएस = 115.58 (प्रत्येक) = 338.63 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, हिमाचल प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 12

(श्री विपुल मनुभाई शाह, एज्यू स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक, अंबिका ऑयल मिल कंपाउंड, गोमतीपुर गेट के बाहर, अहमदाबाद - 380021 गुजरात)

आवेदन पर विचार करने के बाद और बाद में प्राधिकरण द्वारा किए गए कार्य-स्थल के दौरे के बाद, यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को 16.00 मीटर (कुल मिलाकर) तक की अधिकतम ऊंचाई के साथ फिर से कार्य-स्थल योजना जमा करने के लिए कहते हुए मामला **वापस भेज दिया जाए ।**

मामला संख्या 13

(मीनार बिल्डर्स एवं अन्य, 1119, दानपीठ शक मार्केट, दानपीठ, अहमदाबाद)

आवेदन पर विचार करने के बाद और बाद में प्राधिकरण के कार्य-स्थल के दौरे के बाद, यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को बिना तलघर के 15.0 मीटर (कुल मिलाकर) की ऊंचाई के साथ जी + 3 की संशोधित योजना प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेज दिया जाए।